



# उत्तर प्रदेश शासन

## उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला  
सहायक  
आयुक्त स-  
प्रशासनिक क:

देवरिया  
सलेमपुर  
15600030041417  
600431507003

वारी दिनांक: 21/07/2015

प्रमाणित किया जाता है कि  
पुत्र/पुत्री  
पिता का नाम  
पिताजी  
ग्राम  
तहसील  
जिला

श्री अधिवेश बर्मा  
श्री विनोद बर्मा  
श्रीमती संगीता देवी  
,समथली  
समथली पाण्डेय  
सलेमपुर  
देवरिया



उत्तर प्रदेश राज्य की सोनस जाति के व्यक्ति हैं वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री अधिवेश बर्मा पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जिस कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं वो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं साक-उपेस संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से व्याख्यात नहीं है इनके प्रजा-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के दिने सफल बार्निंग अन्य जाति लक्षण कन्वे वा प्रकृति अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में तथा विलियम कूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



वारी वारी केन्द्र:  
पद:  
स्थान:  
दिनांक:  
सहायक सहायक



DAYASHANKAR

Digitally Signed by  
DAYASHANKAR  
O=Personal  
C=IN, CN=DAYASHANKAR,  
S=Uttar Pradesh

सहायक अधिकारी/सहायक  
डिप्टिडर इलाहाबाद  
सलेमपुर, देवरिया  
दिनांक: 21/07/2015

यह प्रमाण पत्र प्रलेखनिक डिजिटल सिग्नेचर द्वारा बनाया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर के प्रमाणित होने के अनिवार्य रूप से प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र केवल के लिए है।  
http://edistrict.up.nic.in पर प्रमाण पत्रों को  
अधिक जानकारी के लिए सहायक सहायक के पास संपर्क करें।